भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AB 149079

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम – ग्रामीण उत्थान समिति
2. संस्था का पंजीकृत कार्यालय – ग्राम व पोस्ट लखीपुर, परगना व तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :–

आजीवन सदस्य

जो व्यक्ति संस्था को एक बार में 5001/– रूपये नकद या इतने ही मूल्य की चल या अचल सम्पत्ति निस्वार्थ भाव से देगा वह आजीवन सदस्य रहेगा।

सामान्य सदस्य –

जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते होंगे व संस्था को 101/– रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क देंगे वे सामान्य सदस्य होंगे।

5. सदस्यता की समाप्ति ::

1. मृत्यु हो जाने पर
2. पागल अथवा दिवालिया हो जाने पर
3. संस्था विरोधी कार्य करने पर।
4. त्याग पत्र या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर
5. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
6. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।

(6) संस्था के अंग –
1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी समिति

(7) साधारण सभा–

गठन – साधारण सभा का गठन सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

बैठक – साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि – प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।

गणपूर्ति – साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या का कुल 2/3 बहुमत कोरम होगा।

GRAMIN UTTHAN SAMITI

Vinod Gupta
मूर्ति प्रसाद
अवधेश कुमार
मन्दाकिनी

Scanned with OKEN Scanner

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि –

साधारण सभा की वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा तय की जायेगी।

साधारण सभा के कर्तव्य –

1. प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
2. संस्था वार्षिक बजट पास करना।
3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4. संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से करना।

(8) प्रबन्धकारिणी समिति :-

गठनः– प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर का की जायेगी जिसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, मंत्री एक तथा आठ सदस्य होंगे कुल संख्या 11 होगी, जो आवश्यकतानुसार बढ़ाई या एवं घटाई जा सकती है।

बैठक :– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक चार बार होगी विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

गणपूर्तिः– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सभी सदस्यों व पदाधिकारियों को कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व बुलाई जायेगी।

रिक्त स्थान की पूर्ति –

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्दर रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा शेषकार्यकाल के लिए की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार और कर्तव्य–

1. संस्था के विकास के लिए आवश्यक कार्य करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
4. राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/ग्रामोद्योग आयोग से आर्थिक सहायता प्राप्त करना।

कार्यकाल :– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा। 5 साल पूर्ण होने से एक माह पूर्व साधारण सभा द्वारा पुनः कराया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

GRAMIN UTTHAN SAMITI

Vinod Gupta   कृष्ण प्रसाद

अशोक कुमार   मन्दाकिनी

(9) **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य—**

अध्यक्ष —
1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के विमाकों का अनुमोदन करना परिवर्तन करना, परिवर्तन करना तथा बैठकों को स्थगित करना।
3. समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
4. संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
5. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।

उपाध्यक्ष — अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

मंत्री —
1. संस्था का मुख्य कार्यपालक होगा।
2. प्रबन्ध समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
3. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
4. समस्त बिल एवं वाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
5. राजकीय सहायता, ऋण अनुदान प्राप्त करना।
6. समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में 500/— रूपये तक व्यय करने के लिए रखना।
7. संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
8. आय व्यय का लेखा जोखा करना।
9. बैठकों की सूचना सदस्यों को को लिखित रूप में देना।
10. बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना व सुनाना।
11. सदस्यों का नाम सदस्यता रजिस्टर पर नोट करना।
12. संस्था की ओर से समस्त अदालती कार्यवाही करना।
13. संस्था के आडिट की व्यवस्था करना।
14. दान चन्दा प्राप्त करना तथा उनकी रसीद देना।
15. संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति की देख—रेख एवं सुरक्षा करना।
16. संस्था के विकास हेतु अन्य वे कार्य करना जो संस्था के लिए आवश्यक होगा।
17. संस्था के ऋण सम्बन्धी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

(10) **संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया—**

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत के द्वारा की जायेगी।

GRAMIN UTTHAN SAMITI

Vinod Gupta सूरज प्रसाद

अशोक कुमार मन्दाकिनी

Scanned with OKEN Scanner

(11) संस्था के कोष–

संस्था का समस्त कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/मान्यता प्राप्त बैंक अथवा पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जिसका आहरण मंत्री/अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

(12) संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) –

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण धारा 23 के अन्तर्गत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा की जायेगी।

(13) संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :–

संस्था द्वारा होने वाले पक्ष–विपक्ष के मुकदमों की पैरवी अध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

(15) संस्था के अभिलेख–

1. सदस्यता रजिस्टर,
2. कार्यवाही रजिस्टर,
3. स्टाक रजिस्टर,
4. कैशबुक आदि।

(16) संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति का निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक 10.6.2012

(सत्य प्रतिलिपि)

GRAMIN UTTHAN SAMITI

Vinod Gupta　　सूर्य प्रसाद

अशोक कुमार　　मन्दाकिनी

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु. 10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AB 584370

ग्रामीण उत्थान समिति

जिला प्रतापगढ़

F 103238

कार्य प्रौद्योगिकी तथा विद्युत

GRAMIN UTTHAN SAMITI

संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम — ग्रामीण उत्थान समिति
2. संस्था का पंजीकृत कार्यालय — ग्राम व पोस्ट लक्ष्मीपुर, परगना व तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य —

1. संस्था का उद्देश्य कार्यक्षेत्र के ग्रामों में स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करते हुए क्षेत्र में सामाजिक एवं चारित्रिक विकास करना।
2. गांधी विचारधारा के अन्तर्गत साहित्य के प्रचार और प्रसार द्वारा लोगों को रचनात्मक जीवन की ओर अग्रसर करना।
3. ग्रामीण निवासियों, मजदूरों एवं कारीगरों व कृषकों को ग्रामोद्योग सम्बन्धी जानकारी दिलाने का प्रयास करना।
4. उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा संचालित समस्त ग्रामीण ग्रामोद्योग का प्रचार व प्रसार करना तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
5. लोगों के ज्ञानार्जन हेतु पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना व संचालन करना।
6. समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार आदि का आयोजन करना।
7. समाज में हर आयु, जाति, धर्म, सम्प्रदाय एवं वर्गों हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक अधिकार एवं जागरूकता व विकास के परिप्रेक्ष्य में उनके आर्थिक मानसिक, शैक्षिक, बौद्धिक, धार्मिक धर्मार्थ, चारित्रिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु समस्त प्रकार के स्वपोषित आयोजित, कार्य योजनाओं का संचालन करना।
8. स्वास्थ्य एवं मातृ–शिशु कल्याण, पर्यावरण संरक्षण के जागरूकता, सहायता बाल श्रम उन्मूलन यातायात जागरूकता कृषि एवं ग्रामीण विकास, वन्य जीवन संरक्षण प्रदूषण नियन्त्रण एड्स, मद्यनिषेध, महिला एवं बाल विकास, धार्मिक मेलों [illegible] इत्यादि कार्यों का संचालन करना।
9. अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति व गरीब असहाय महिला के उत्थान हेतु ट्रेनिंग सेन्टर खोलना, प्राइमरी से लेकर इण्टर कालेज, इण्टर गर्ल्स कालेज, डिग्री कालेज व गर्ल्स डिग्री कालेज खोलना, तथा निःशुल्क आवासीय विद्यालय खोलना श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास तथा छात्राओं, छात्रा के लिए छात्रावास खोलना तथा आई0 सी0 एस0 ई0 तथा सी0बी0एस0सी0 बोर्ड द्वारा मान्यता लेकर विद्यालय खोलना तथा मेधावी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं पुस्तकीय सहायता तथा शैक्षिक परिभ्रमण दिलाकर स्वावलम्बी बनाना।
10. युवा वर्ग के कौशल, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, चारित्रिक, शैक्षिक विकास एवं उत्थान तथा राष्ट्रीय एकता एकीकरण, सामाजिक सहभागिता एवं नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य में दहेज प्रथा, बाल विवाह को रोकने का प्रयास करना। जाति–पात को मिटाने का प्रयास करना एवं समस्त प्रकार के कार्य योजनाओं का संचालन करना।
11. समाज के हर आयु, जाति, वर्ग, धर्म एवं समुदाय के लोगों में अल्प बचत की भावना का विकास प्रचार–प्रसार एवं भौतिक क्रियान्वयन करना। भारतीय भाषाओं, साहित्य, प्राचीन सांस्कृतिक लोक परम्पराओं ऐतिहासिक पुरातत्व अवशेषों, नैतिक मूल्य, शिल्पकलाओं एवं रीति–रिवाजों के उत्थानजनक, संरक्षणपूरक, व्यवस्थित कार्य योजनाओं हेतु भौतिक प्रयासों का क्रियान्वयन करना।

GRAMIN UTTHAN SAMITI

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स, इलाहाबाद

Vinod Gupta

[illegible] प्रसाद

[illegible]

[illegible] कुमार

Scanned with OKEN Scanner

12. समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों, विकासात्मक एवं उत्थानमूलक अवरोधों को दूर करने एवं समूह नष्ट करने जैसे दैविक आपदायें बाढ़, सूखा, अग्नि भूकम्प, ओला वृष्टि, तूफान आदि के समय में पीड़ितों को हर सम्भव सहायता हेतु समस्त प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना।

13. प्रदेश में खेल क्लब संस्कृति को सुदृढ़ करना, ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों में सामूहिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना तथा उनके भरण–पोषण की व्यवस्था करना। अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों खेल क्रियाकलापों हेतु रूचि उत्साह जागरूकता पैदा करना एवं संसाधन उपलब्ध कराना तथा देश विदेश, प्रदेश स्तर पर खेलकूद के आयोजन पर सहायता करना खेल परिभ्रमण दिलाकर उत्साह बढ़ाना व व्यायामशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, औषधालय खोलना तथा स्वावलम्बी बनाने हेतु समस्त प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना।

14. विश्व बैंक द्वारा जनहित मसे सम्बन्धित कार्यक्रमों जैसे पेयजल योजना (स्वजल–जलधारा) जल संरक्षण कार्यक्रम, सिंचाई हेतु योजना, वृक्षारोपण कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु केन्द्रीय, प्रान्तीय सरकार से आर्थिक सहायत्ता प्राप्त कर उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना तथा संचालन करना।

15. विश्व स्वास्थ्य संगठन की योजनाओं जैसे कुष्ठ निवारण, एड्स से बचाव तथा उपचार, विभिन्न प्रकार के टीकाकरण, स्वास्थ्य संवर्धन योजनाएं, परिवार कल्याण से सम्बन्धित योजनाएं लागू करवाना, प्रचार–प्रसार, उपचार हेतु केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों से आर्थिक मद प्राप्त कर उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना।

16. संस्था द्वारा धार्मिक कार्य करना, इस हेतु भजन कीर्तन, जागरण, भण्डारा तथा रैन बसेरा आदि की व्यवस्था करना।

17. कार्यक्षेत्र के समग्र विकास के परिप्रेक्ष्य में खादी ग्रामोद्योग आयोग अथवा राज्य खादी बोर्ड के स्वीकृति पैटर्न के अनुसार खादी ग्रामोद्योग की गतिविधियों को अपनाना व विकास के सभी योजनाओं ग्रामीण उद्योग रूलर इन्डस्ट्रीज के विकास हेतु आयोग द्वारा जारी अर्थ पत्रता के अनुसार खादी ग्रामोद्योग की वस्तुएं का उत्पाद करना तथा ग्रामीणों के प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार का सृजन करना। आयोजित कार्य योजनाओं का अनुसरण व प्रबन्धन करना।

18. अल्पसंख्यक कल्याण हेतु मकतबे मदरसा खोलना जिसमें अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिन्दी, विज्ञाना व गणित की शिक्षा देना तथा मकतब मदरसों का संचालन करना।

19. वेदान्त धारक संत कबीर के बीजक पर आधारित ग्रन्थ दर्शन गीतादि आर्य समाज के ग्रन्थ प्रकाश पुराण ग्रन्थ गुरू ग्रन्थ साहब, कुरान, जैन बौद्ध क्रिश्चन ग्रन्थ बाइबिल इत्यादि के सिद्धान्तों एवं उसी प्रकार दैहिक, दैविक, भौतिक ज्ञान विज्ञान का अनुसरण कर संचालन करना।

20. जन–संसाधन विहीन क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों, वृद्धों युवाओं, महिलाओं एवं प्रौढ़ों के विकास एवं उत्थान हेतु महिलाओं बालिकाओं, युवाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई शिल्प कला, फैशन डिजाइन, चिकन जरी प्रिन्टिंग, स्क्रीन प्रिन्टिंग, वाल पेंटिग आदि का प्रशिक्षण देना और उन्हें स्वावलंबन की भावना जागृत करने की समस्त प्राकर की तद्मुक्त वांछित कार्य योजनाओं का संचालन करना तथा वांछित वर्गों को समस्त प्रकार से मार्ग दर्शन एवं भौतिक सहयोग प्रदान करना।

21. मानसिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक तकनीकी, बौद्धिक सांस्कृतिक, आर्थिक, कृषि एवं ग्रामीण विकास, स्वच्छ पेयजल इत्यादि के क्षेत्र में समाज के हर वर्ग, जाति, आयु, धर्म एवं सम्प्रदाय के लोगों हेतु प्रशिक्षण, संवर्ग अनुसधान तथा समस्त भौतिक उन्नतवादि कार्य योजनाओं का सम्पादन करना तथा उक्त विषयक जागरूकता विकास हेतु परामर्श, पाठ्य सामग्री आंकडे रिपोर्ट समीक्षा इत्यादि सामग्री विकसित करना तथा विभिन्न संचार माध्यमों से जन–जन तक पहुंचाना। प्रकृतिक चिकित्सा एवं योग प्रशिक्षण तथा चिकित्सा शिक्षा, स्पर्श चिकित्सा, दुग्ध चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करना।

GRAMIN UTTHAN SAMITI

Vinod Gupta
सूर्य प्रसाद
जनार्दन
अशोक कुमार

Scanned with OKEN Scanner

22. आयुर्वैदिक, ऐलेपैथिक, दन्त चिकित्सा तथा हाम्योपैथिक का निःशुल्क तथा जनहित का कल्याण करना एवं खाद्य प्रसंसकरण हेतु निःशुल्क शर्बत शतरीता सत शैम्पू, जैम अचार, मुरब्बा, बेकरी, स्नेक फूड आदि का प्रशिक्षण देना एवं समस्त कार्य का संचालन करना।

23. ग्रामीण महिलाओं द्वारा समूह योजना बनाना तथा महिला समूह द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के द्वारा स्वरोजगार की ओर अग्रसर करना तथा सहायता प्रदान करवाना एवं महिला समूह सम्पादित राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का संचालन करना।

24. भारतीय हरित क्रान्ति में औद्योगिक टेक्नालॉजी पर्यावरण खाद्य उर्वरक पारम्परिक मत्स्य पालन, मधु पालन, मक्खी, कुकुट, जीवन जन्तु संरक्षण गोपालन करना तथा कृषि व वानिकी ज्वलन्त समस्याओं को जैसे भूमिरक्षण किटों के दुष्प्रभाव बाढ़ व सूखा को नियंत्रित करना एवं बंजर भूमि पहाडी क्षेत्र के समतल कर कृषि योग्य बनाने का प्रयास करना तथा उनके द्वारा संचालित समस्त कार्य योजनाओं का संचालन करना।

25. वृद्ध विकलांग, मूक बधिर, दृष्टिहीन, मानसिक रूप से कमजोर विधवा पतिता, परित्यागिता, देह व्यापार, समाज शोषित निराश्रित कुष्ठ रोगियों, क्षय रोग अनाथ युवत महिलाएं एवं उनके बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले संसाधन विहीन परिवारों के उत्थान हेतु आवास महिला आश्रम बाल आश्रम एवं शिक्षित बेरोजगार युवा, बालिका, महिला को कम्प्यूटर प्रशिक्षण, इलेक्ट्रानिक एयर कन्डीशनर प्रशिक्षण, मोबाईल रिपेयरिंग तथा नेट कार्य कम्युनिकेशन, साईबर कैफे, शार्ट हैण्ड, टाइपिंग, प्रतियोगात्मक प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करना तथा कम्प्यूटरीकृत शिक्षण द्वारा प्रशिक्षित कर प्रिंटिंग का प्रशिक्षण तथा गोशाला, फल संरक्षण हेतु समग्र विकास कार्य योजनाओं का संचालन करना।

26. ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त सिंचाई की समस्याओं को दूर करने के लिए चयनित क्षेत्रों क्षेत्रों में संसाधन विकास कार्य करना इस कार्य में शासन द्वारा उपलब्ध सुविधाओं को जनता तक पहुँचाने में शासन की सहायता करना।

27. बाल श्रम उन्मूलन के लिए सार्थक प्रयास करना। बाल श्रम में जुडे परिवारों के आर्थिक विकास की योजनायें बनाना एवम् उन्हें क्रियात्मक करना तथा बाल श्रमिकों का उद्धार करना एवम् उनकी शिक्षा–दीक्षा की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था करना।

28. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खादी ग्रामोद्योग आयोग / बोर्ड प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार अन्य अनुदान प्रदत्त व संस्थाओं द्वारा संचालित विधायक निधि सांसद निधि, कपार्ट मानव विकास मंत्रालय, युनिसेफ, डवाकरा, सिफसा सैफ इण्डिया, यूनिसेफ नवार्ड, हेल्पेड इण्डिया, राजीव फाउन्डेशन नवराड आक्सफोम इण्डिया केयर, अल्पसंख्यक पिछड़ावर्ग कल्याण निदेशालय की योजनाओं को संचालित प्रबन्धन एवं अनुरक्षण हेतु समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करने एवं इस हेतु अनुदान दान चन्दा अन्य सहायता प्राप्त करना तथा प्राप्त आय को उद्देश्यों की पूर्ति में व्यय करना।

सत्य प्रतिलिपि

GRAM-N UTTHAN SAMITI

Vinod Gupta

मन्दाकिनी

सूर्य प्रकाश

अशोक कुमार

5. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पते, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है :-

क्र0	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री सूर्य प्रसाद	ग्राम व पोस्ट लक्षीपुर, प्रतापगढ़।	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री अशोक कुमार	ग्राम व पोस्ट लक्षीपुर, प्रतापगढ़।	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्री विनोद कुमार गुप्ता	ग्राम व पोस्ट लक्षीपुर, प्रतापगढ़।	मंत्री	कृषि
4.	श्री शालेन्द्र कुमार	ग्राम व पोस्ट लक्षीपुर, प्रतापगढ़।	कोषाध्यक्ष	कृषि
5.	श्रीमती मन्दाकनी	ग्राम व पोस्ट लक्षीपुर, प्रतापगढ़।	सदस्य	समाजसेवा
6.	श्री घनश्याम	सराय वीका, जौनपुर।	सदस्य	कृषि
7.	श्री विजय पाल	लक्षीपुर, प्रतापगढ़।	सदस्य	कृषि
8	श्री राम अधार	ग्राम व पोस्ट लक्षीपुर, प्रतापगढ़।	सदस्य	कृषि
9	श्री बाल मुकुन्द	बलवंरगंज, सुजानगंज, जौनपुर।	सदस्य	कृषि
10	श्री महेश कुमार	ग्राम व पोस्ट लक्षीपुर, प्रतापगढ़।	सदस्य	कृषि
11	श्री राम मूर्ति	गोसाईंपुर, लक्षीपुर, प्रतापगढ़।	सदस्य	कृषि

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था को उपर्युक्त स्मृति पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन की धारा 20 सन् 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया।

सत्य प्रतिलिपि

GRAMIN UTTHAN SAMITI

Vinod Gupta   सूर्य प्रसाद

मन्दाकिनी   अशोक कुमार

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
GRAMIN UTTHAN SAMITI
03/09/1990
Permanent Account Number
AABAG5480G

GRAMIN UTTHAN SAMITI

Scanned with OKEN Scanner